

ई-मेल द्वारा

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी-20/कृषि निवेश/बी-250(टीसी-1) दिनांक: लखनऊ: 27.05.2018

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,

सहकारिता, उ०प्र०।

2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

जिला सहकारी बैंक लि०।

3. समस्त जिला प्रबन्धक

पी.सी.एफ. उ०प्र०।

विषय- दिनांक 27.05.2018 से इफको यूरिया नीम कोटेड उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरो के सम्बन्ध में।

राज्य विपणन प्रबन्धक इफको लखनऊ ने अपने पत्र सं० 4013-93 दिनांक 25.05.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 12014/4/2009-एफपीपी दिनांक 17.05.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यूरिया पर ए०सी०टी०एन० रू० 600.00 प्रति मै०टन से बढ़ाकर रू० 680.00 प्रति मै०टन कर दिया गया है, जिसके कारण नीम कोटेड यूरिया की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरे दिनांक 27.05.2018 से संशोधित होगी। तदनुसार इफको के प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 27.05.2018 से नए एमआरपी प्रिन्ट के बोरो में उपलब्ध इफको नीम कोटेड यूरिया उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरे निम्नानुसार संसूचित की जाती है:-

(धनराशि रू० में)

क्र.सं.	विवरण (प्रति मै०टन)	यूरिया नीम कोटेड	यूरिया नीम कोटेड	यूरिया नीम कोटेड	यूरिया नीम कोटेड
		45 कि०ग्रा०	50 कि०ग्रा०	45 कि०ग्रा०	50 कि०ग्रा०
		जी०पी०के		डी०डी०/आर०टी०जी०एस०	
1	एक्स फैक्ट्री प्राइस	5981.55	5945.05	5981.55	5945.05
2	कैश डिस्काउन्ट	0.00	0.00	36.00	36.00
3	नेट टैक्सुबल अमाउन्ट	5981.55	5945.05	5945.55	5909.05
4	सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	149.54	148.63	148.64	117.73
5	एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	149.54	148.63	148.64	117.73
6	कुल जी.एस.टी. धनराशि	299.08	297.26	297.28	295.46
7	कुल धनराशि (3+6)	6280.63	6242.30	6242.83	6204.50
8	राउन्डिंग आफ रिबेट	7.89	4.00	7.89	4.00
9	नेट इश्यू प्राइस प्रति मै०टन	6272.74	6238.30	6234.94	6200.50
10	डीलर मार्जिन	354.00	354.00	354.00	354.00
11	डीलर मार्जिन पर सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	8.85	8.85	8.85	8.85

33/डी०टी०/२०१८
दि० 11/6/2018
अधीनशील

अधीनशील असा/...

अधीनशील
11/6/18

12	डीलर मार्जिन पर एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	8.85	8.85	8.85	8.85
13	डीलर मार्जिन पर कुल जी.एस.टी. धनराशि	17.70	17.70	17.70	17.70
14	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति मै0टन	6644.44	6610.00	6644.44	6610.00
15	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति 50 किय्रा बैग	299.00	330.50	299.00	330.50

इफको द्वारा उक्त यूरिया नीम कोटेड उर्वरको की आपूर्ति व बिक्री निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी:-

- 1-भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15011/33/2017-डी.बी.टी. दिनांक 28.11.2017 के द्वारा सम्पूर्ण देश में उर्वरक अनुदान भुगतान में डी.बी.टी. को सम्पादित करने हेतु समय सारणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.02.2018 से उर्वरको का बिक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- 2-पीसीएफ सेवा केन्द्रो/समितियो/अन्य बिक्री केन्द्रो/प्रीपोजीशनिंग योजनानर्तगत उपलब्ध संभार जो ए0सी0टी0एन0 बढ़ने से पूर्व में ही कय किया गया है, उसकी बिक्री पुरानी दरों पर ही की जायेगी।
- 3-आपूर्ति एवं बिक्री की उपरोक्त दरें नये एमआरपी प्रिन्ट के बोरो में उपलब्ध यूरिया नीम कोटेड उर्वरक पर प्रभावी होंगी।
- 4-यूरिया नीम कोटेड उर्वरको की बिक्री अनिवार्य रूप से पीओएस मशीन से ही की जाय जो बिक्री केन्द्र पीओएस मशीन द्वारा बिक्री नहीं करते है,उन्हे भारत सरकार के निर्देशानुसार यूरिया,डीएपी,एनपीके आदि अन्य रासायनिक उर्वरको की आपूर्ति न किया जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ताओ का होगा।


 (नरेन्द्र कुमार सिंह)
 आयुक्त एवं निबन्धक
 सहकारिता, उ०प्र०
 लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-20 / कृषि निवेश/बी-250 टीसी-1 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10. अपर मुख्य सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

(राम प्रकाश)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ ।